भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2824**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सस्ते आयात का प्रभाव

2824. **एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सस्ते आयात के प्रभाव से लघु स्तर के घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ सूक्ष्म और लघु स्तर के उद्योगों तक समान रूप से पहुंच रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विशेषकर ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई अलग योजना या बजटीय प्रावधान है और यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए किसी विशेष वित्तीय पैकेज को चिन्हित किया गया है, और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार व्यापार उपचारात्मक उपायों के माध्यम से लघु-स्तरीय घरेलू उद्योगों (एसएसआइ) की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई सुरक्षात्मक उपाय लागू कर रही है। इन उपायों में कम लागत के आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना, आयात में अचानक वृद्धि को प्रबंधित करने के

लिए सुरक्षा शुल्क, विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को निष्प्रभाव करने के लिए प्रतिकारी शुल्क, घटिया, सस्ते सामानों की डंपिंग को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और सस्ते आयात के लिए एफटीए के दुरुपयोग को रोकने के लिए मूल नियमों का सख्त प्रवर्तन शामिल है। जहां भी आवश्यक हो, संवेदनशील क्षेत्रों में आयात लाइसेंस/पंजीकरण तंत्र के माध्यम से आयात की निगरानी भी की जाती है।

(ख) से (ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कई प्रमुख निर्यात संवर्धन स्कीमों का संचालन करता है, अर्थात निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ईपीसीजी), अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए), शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआइए), निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट (आरओडीटीईपी) जो भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों सहित हितधारकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं।

ये स्कीमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यातकों, विनिर्माताओं, व्यापारी निर्यातकों और अन्य पात्र हितधारकों के लिए सुलभ हैं, जिससे पूरे देश में व्यापार के लिए समान नीति कार्यान्वयन और समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर, 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करना है।

निर्यात संवर्धन मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं को लेकर बनाई गई है:

• निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहायता जैसे उपकरणों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है; और

• निर्यात दिशा - निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स तथा भंडारण, अंतर्देशीय परिवहन सहायता और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केंद्रित करती है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यातकों की क्षमता निर्माण हेतु पहल जैसी, निर्यात बंधु स्कीम और निर्यात हब के रूप में जिलों को विकसित करना भी लागू किया गया है।

भारत सरकार के पास विशेष रूप से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय हैं, जो मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

इन उपायों में शामिल हैं:

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): ग्रामीण (और शहरी) क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक सब्सिडी स्कीम है। यह विशेष श्रेणियों के लिए उच्च सब्सिडी (ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक) प्रदान करता है।

• पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि संबंधी स्कीम (स्फूर्ति): पारंपरिक कारीगरों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कलस्टरों में संगठित करता है, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और कच्चे माल के लिए सहायता प्रदान करता है।

• नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम (एस्पायर): कृषि-उद्योग में स्टार्टअप के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआइ) और लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स (एलबीआइ) सृजन करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

• ग्रामोदय विकास योजना (जीवीवाइ): कौशल विकास और आधुनिक उपकरणों के वितरण के माध्यम से पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है।

• कॉयर विकास योजना (सीवीवाइ) एवं महिला कॉयर योजना: ग्रामीण महिला कारीगरों को मोटर चालित उपकरण प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट उप-स्कीम के साथ कॉयर उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल (2026): खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई है।

• ग्रामीण और कुटीर उद्योगों सहित जिला-विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल।

बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार मुख्य रूप से विभिन्न मंत्रालयों, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित वित्तीय पुनर्गठन, पुनरुद्धार पैकेज और सहायता उपायों के माध्यम से किया जाता है। सहायता तंत्र में एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई सहायता कार्यक्रमों के तहत सहायता, प्रभावित इकाइयों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय पुनर्गठन तंत्र शामिल हैं।

*****